web site-www.upjn.org
फैक्स नं0:– 0522–2622389

फोन नं0:– 0522–2620172, 2620173
– 0522–2620272

प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक– 185 /ज0सू0ई0– 0071 /16 दिनांकः– 16/02/.2016

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप पत्रांक–898/जन सूचना इकाई–कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.06.2015, जिसका कार्यकारी अंश निम्नानुसार है में निम्न व्यवस्था दी गयी थी।

"आवेदक द्वारा मण्डल विशेष से संबंधित सूचना चाहे जाने की स्थिति में मण्डल के संबंधित अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियन्ता को जन सूचना अधिकारी नामित करते हुये पत्र अन्तरित कराया जाय तथा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय। इसी प्रकार क्षेत्र विशेष की सूचना चाहे जाने की स्थिति क्षेत्र के संबंधित मुख्य अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता को जन सूचना अधिकारी नामित करते हुए पत्र अन्तरित कराया जाय तथा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय।"

कुछ मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता यथास्थिति किन्हीं कारणोंवश तैनात नहीं है, जिस कारण से यह समस्या आती है कि अमुक मण्डल में अथवा क्षेत्रीय कार्यालय विशेष से संबंधित सूचना चाहे जाने की स्थिति में आवेदक का पत्र किस जन सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाय उक्त समस्या के निवारण के क्रम में एतद् द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था दी जाती है।

चूंकि कार्यालय के अधिकांश अभिलेख संबंधित कार्यालय के वरिष्ठ अतकनीकी कार्मिकों के नियन्त्रण में रहते हैं, अतः जिस मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तैनात न हों वहां कार्यालय में कार्यरत अतकनीकी संवर्ग के वरिष्ठतम कार्मिक को संबंधित कार्यालय के प्रमुख के द्वारा जन सूचना अधिकारी नामित करते हुये कार्यालय ज्ञाप निर्गत कर दिया जाय तथा उस कार्यालय ज्ञाप की प्रति प्रधान कार्यालय स्थित जन सूचना अधिकारी (समन्वय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को भी प्रेषित की जाय तथा नामित जन सूचना अधिकारी का मोबाईल नम्बर भी सूचित किया जाय। प्रथम अपीलीय अधिकारी के संबंध में स्थिति यथावत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.06.2015 के अनुरूप रहेगी।

(पी0 के0 आसूदानी)
प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2–समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
3–विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4–निदेशक, सी0एण्ड डी0एस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5–सचिव (प्रशासन)/(व्यवस्था), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6–समस्त अधीक्षण अभियन्ता स्तरीय अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम।
7–समस्त अधिशासी अभियन्ता स्तरीय अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम।
8–अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0सेल), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9–मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10–गार्ड फाइल।

जन सूचना अधिकारी (समन्वय)

Office order- 20